भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1277
मंगलवार, 11 फ़रवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

सहकारी निकायों में करोड़ों रुपए के घोटाले

†1277. प्रो. सौगत रायः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सहकारी निकायों, जो कथित तौर पर करोड़ों रुपए के घोटालों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं, का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि निवेशकों के सैंकड़ों करोड़ रुपए ऐसे बैंकों द्वारा गबन कर लिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त राज्यों के सहकारी विभागों के अधिकारी ऐसे बैंकों के कामकाज की निगरानी करने में पूरी तरह विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का देश में नए जिला स्तरीय सहकारी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित हैं**,** वे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा शासित होते हैं । सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं वे केंद्रीय सरकार की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 द्वारा प्रशासित होते हैं **।** ये समितियां एक स्वायत्त सहकारी संगठन के रूप में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं । बहुराज्य सहकारी समितियां**,** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम**,** 2002 और उसके अधीन बने नियमों के साथ पठित समिति की स्वीकृत उपविधियों के अधीन अपना कार्य करती हैं । इसके अलावा, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार चार बहुराज्य सहकारी समितियों, अर्थात् राजस्थान में 2**,** गुजरात में 1 और महाराष्ट्र में 1 बहुराज्य सहकारी समितियों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की गई है ।

(ख) और (ग): बहुराज्य सहकारी बैंकों सहित सहकारी बैंकों का विनियमन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है । सहकारी बैंकों के कार्यकरण में अनियमितताओं के विरूद्ध समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

(घ) भारत सरकार के पास वर्तमान में देश में नई जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

******